खेल और युवा कार्यकलापों में सहयोग पर
भारतीय गणतंत्र की सरकार
और
तुर्की गणतंत्र की सरकार
के बीच
समझौता ज्ञापन

खेल और युवा कार्यकलापों के क्षेत्र में अपने विकासशील संबंधों को आगे विकसित करने के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, भारतीय गणतंत्र की सरकार और तुर्की गणतंत्र की सरकार ने, इसके आगे से "पक्षों" के रूप में उल्लिखित खेलों के क्षेत्र में अपने विद्यमान मैत्री संबंधों और सहयोग को प्रोत्साहित करने और मजबूती प्रदान करने के प्रयोजन से निम्नलिखित समझौता किया है:-

अनुच्छेद 1
सामान्य उद्देश्य

यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी रूपरेखा तैयार करेगा जिसके अंतर्गत खेल और युवा कार्यकलापों और विशेषज्ञता के लिए विस्तृत प्रस्ताव पर परस्पर और आपसी लाभ के आधार पर दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जाएगा ।

दोनों पक्ष अपनी सरकारों की खेल और युवा एजेंसियों के माध्यम से यथोचित संपर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास करेंगे और खेलों में सहयोगात्मक कार्यकलापों और कार्यक्रमों को समाहित करने के लिए प्रबंध करेंगें ।

अनुच्छेद 2
सहयोग के क्षेत्र

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष खेल और युवा कार्यकलापों के निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यक्रमों, अनुभवों, कौशलों,तकनीकों, सूचना और ज्ञान के आदान-प्रदान को असीमित तरीके से प्रोत्साहित और सहयोग देंगें:

1. एथलिटों और टीमों का प्रशिक्षण और प्रतियोगिताएं,
2. कोचों के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता,
3. खेल नेताओं, खेल प्रशासकों, पेशेवरों, तकनीकिविदों और खेल सहायक कार्मिकों और युवा और खेल के क्षेत्रों के विशेषज्ञों के आदान-प्रदान कार्यक्रम और भ्रमण,
4. युवा और खेलों के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं का विकास करना,
5. युवा पर्यटन को आगे बढ़ाना,
6. सयुंक्त युवा शिविरों तथा मैत्री खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन,

7. युवा विकास के लिए सामान्य नीतियों को परिभाषित करते हुए विशेषज्ञों तथा शोधार्थियों की सामान्य अनुसंधान टीमें बनाने के साथ-साथ

8. दोनों देशों के युवा क्लबों, युवा समूहों, युवा गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को स्थापित और उसका सशक्तिकरण करना,

9. खेल विज्ञान के विकास और खेल विज्ञान कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण, आदान-प्रदान और सहायता कार्यक्रम,

10. कोच शिक्षा, पाठ्यक्रम-विकास, खेल शिक्षा, खेल प्रबंधन, खेल अवसंरचना विकास और प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, आदान-प्रदान और सहायता कार्यक्रम,

11. खेलों के क्षेत्र में सूचना अनुसंधान के विकास के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी अवसंरचना और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान,

12. प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और अनुसंधान सहित प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम,

13. स्कूलों में खेलों का विकास और स्कूली खेलों में प्रतियोगिता,

14. युवा नीतियों, युवा विकास कार्यक्रमों और युवा संगठनों से परिचित होने के लिए युवा आदान-प्रदान
कार्यक्रम,

15. युवा कार्यकलापों, युवा महोत्सवों और युवा शिविरों में सहभागिता, और ,

16. समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के अंतर्गत परस्पर लाभ के लिए उपयुक्त और आवश्यक समझे जाने वाला कोई अन्य क्षेत्र ।

अनुच्छेद 3
सहयोग के प्रकार

इस समझौता ज्ञापन खेल के अंतर्गत सहयोग में नीचे दी गई बातें शामिल है:-

(1) खेलों के क्षेत्र में खेल विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, कोचों और एथलीटों और अध्ययनरत छात्रों का आदान-प्रदान ।

(2) खेलों पर अध्यापन और पाठ्यक्रम सामग्री का आदान-प्रदान, पाठ्यक्रम विकास, सह विकास और सामग्री के प्रकाशन पर सहयोग ।

(3) खेल शिक्षा अहर्ताओं और रोजगार संबंधी सूचना सहित खेल विकास और प्रशिक्षण पद्धति का आदान-प्रदान।

(4) प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, खेल अनुसंधान और विकास, डोपिंग-रोकने के क्षेत्रों में सहयोग ।

(5) विश्वविद्यालयों और शारीरिक शिक्षा संस्थानों के बीच युवा आदान-प्रदान में सहयोग।

(6) युवा संगठनों तथा युवा विकास कार्यक्रमों से परिचित होने के लिए युवा शिष्टमंडल का आदान-प्रदान ।

(7) युवा कार्यकलापों, सुविधाओं और शिविरों में सहभागिता ।

(8) युवा विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञों और शोधार्थियों का आदान-प्रदान ।

(9) बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से मेल-मिलाप ।

अनुच्छेद-4
वित्त पोषण

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सभी सहयोगी गतिविधियाँ और कार्यक्रम निधियों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होंगें ।

भ्रमणकारी पक्ष अपना यात्रा व्यय स्वयं वहन करेगा । मेजबान पक्ष केवल स्थानीय आवागमन, भोजन और आवास उपलब्ध कराएगा । किसी एक पक्ष के हित में की गई यात्राओं के मामले में, यात्रा करने वाला पक्ष स्वयं ही व्यय का वहन करेगा ।

परस्पर निर्धारित सहयोगात्मक कार्यों से संबंधित सेवाओं और सामग्रियों को छोड़ कर अन्य सेवाएं और सामग्री लागत वसूली के आधार पर दी जाएगी ।

दोनों पक्षों की ओर से भ्रमण के दौरान किसी भी पक्ष के एथलीटों या अन्य सदस्यों के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के मामले में, प्रेक्षक पक्ष को चिकित्सीय उपचार का व्यय वहन करना होगा ।

अनुच्छेद-5
कार्यान्वयन

तुर्की गणराज्य के युवा और खेल मंत्रालय और भारतीय गणतंत्र के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है ।

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष बैठकों, पत्रों के आदान-प्रदान या अन्य लिखतों के माध्यम से समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन और विशिष्ट कार्यक्रमों के विकास के लिए आवश्यक प्रबंध करेंगें ।

प्रत्येक पक्ष अपनी ओर की योजनाओं/कार्यकर्मों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगा । इन प्रबंधों के अंतर्गत सहयोग, प्रक्रिया, उपचार बौद्धिक संपदा, वित्त पोषण और अन्य उपयुक्त मामलों से संबंधित विषय होंगे ।

अनुच्छेद-6
संशोधन

इस समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों के बीच लिखित रूप में परस्पर सहमति से संशोधित किया जा सकता है ।

अनुच्छेद-7
विवादों का निपटान

दोनों पक्षों के बीच इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुए किसी
भी विवाद को आपसी परामर्श और वार्ता द्वारा शान्तिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा ।

अनुच्छेद-8
प्रभाव में आना और पर्यवसान

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में कूटनीतिक माध्यमों से उप आशय की संबंधित आंतरिक आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने पर अंतिम अधिसूचना की तारीख को प्रभाव में आएगा और यह तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए प्रभाव में रहेगा । तदोपंरात यह एक बार में अगले तीन वर्षों के स्वत: ही नवीनीकृत हो जाएगा, बशर्ते कि कोई पक्ष वर्तमान समझौता ज्ञापन को समझौता ज्ञापन की समाप्ति की तारीख से छह(6) माह पूर्व लिखित रूप से समाप्त नहीं कर देता ।

इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति या पर्यवसान चल रही परियोजनाओं के पूर्ण होने तक उन्हें प्रभावित नहीं करेगा । उपर्युक्त के साक्षी के रूप में, अधोहस्ताक्षरी इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरी करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हैं ।

संबंधित सरकारों द्वारा इसके साक्षी के रूप में विधिवत रूप से किए जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

..अंकारा..... में वर्ष 2012....... के जून..........में ......5.........तारीख को हिंदी, तुर्किश और अंग्रेजी भाषाओं में तीन मूल पाठों में हस्ताक्षरित । तीनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक और वैध। तथापि, इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या के संबंध में कोई शंका होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारतीय गणराज्य की सरकार की ओर से	तुर्की गणराज्य की सरकार की ओर से
अजय माकन (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
नाम अजय माकन	नाम सुआत किलिच
पदनाम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	पदनाम युवा एवं खेल मंत्री